प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 05 अक्टूबर, 2015

विषय- श्री राजेश कुमार पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड माल सम्प्रति बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ के स्वयं के उपचार पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ए-1027/स्था0-2/ /चि0प्र0पू0/2015-16, दिनांक 11 सितम्बर , 2015 के संदर्भ में बिल बाउचर एवं अन्य संगत अभिलेखों को मूलरूप में प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं उ0 प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड माल सम्प्रति, बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ द्वारा मेदान्ता हास्पिटल, गुडगांव में कराये गये उपचार पर व्यय हुयी धनराशि के सापेक्ष रू0-06,41,141/- (रू0 छहः लाख इकतालिस हजार एक सौ इकतालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त धनराशि का भुगतान श्री राजेश कुमार पाण्डेय को करने से पहले पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल/बाउचर का भुगतान प्रथम बार किया जा रहा है तथा इस हेतु कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति किया गया है तो उसका समायोजन कर लिया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक '' 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान-ब्लाक बजट-49-चिकित्सा व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

**संलग्नक-यथोक्त**

भवदीय

( राम बहादुर )
सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 20/1779(1)/38-3-2015, तददिनांक

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महोलखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी लखनऊ ।
3. जिला विकास अधिकारी लखनऊ ।
4. श्री राजेश कुमार पाण्डेय ग्राम विकास अधिकारी , विकास खण्ड माल सम्प्रति बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ।

5-. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।